न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी—आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
431 / 2024	09.07.2024	28.08.2024

उनवान

1. श्री छोगालाल पुत्र श्री नगजीराम गाडरी निवासी मुस्ताक की चक्की के पास गांधीनगर भीलवाडा

—— प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा राज0

—— विपक्षी

उपस्थितः— 1. अधिवक्ता प्रार्थी की और से नन्दकिशोर मोयल।
2. विपक्षी की और से पैराकार सरकार।

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की राजस्व ग्राम बिलियाखुर्द पटवार हल्का हरणीकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा की सरहद में प्रार्थी की खातेदारी की आराजी सं. 1469 / 657 रकबा 02 बिस्वा, 664 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, 665 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, 666 रकबा 15 बिस्वा, 667 रकबा 04 बिस्वा कुल किता 05 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है जो प्रार्थी एवं सहखातेदारान के नाम दर्ज चली आ रही है।

प्रार्थी का वास्तविक नाम छोगालाल पुत्र श्री नगजीराम गाडरी है लेकिन राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के पिता नगजी राम जी की मृत्यु के पश्चात् जो नामान्तरण खोला गया श्रृटिवश प्रार्थी का नाम चौखाराम पुत्र श्री नगजीराम अंकित कर दिया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम छोगालाल है तथा इसी नाम से प्रार्थी का आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड एवं इण्डियन ओवरसीज बैंक खाते की पासबुक बनी हुई है अर्थात् सभी पहचान के दस्तावेजात् में प्रार्थी का नाम छोगालाल पुत्र श्री नगजी राम वर्णित है लेकिन नगजीराम की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थी का नाम छोगालाल की जगह चोखाराम अंकित कर दिये जाने के कारण राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम छोगालाल की जगह चोखाराम दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी के समस्त पहचान दस्तावेजात् में प्रार्थी का नाम छोगालाल ही वर्णित है जबकि रेकार्ड में त्रुटिवश चोखाराम अंकित कर दिया गया इस कारण प्रार्थी को उक्तानुसार त्रुटिवश लिखे गये नाम छोगालाल की जगह चोखाराम अंकित कर दिये जाने के कारण भारी असुविधा हो रही है तथा प्रार्थी को इस प्रकार से त्रुटिवश नाम अंकित हो जाने के कारण कठिनाई उत्पन्न हो रही है। इस कारण प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में चोखाराम की जगह छोगालाल गाडरी पुत्र नगजीराम गाडरी दर्ज कराने की प्रार्थना की है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 09.07.2024 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किये गये। प्रार्थी का आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड एवं इण्डियन ओवरसीज बैंक खाते की पासबुक बनी हुई है अर्थात् सभी पहचान के दस्तावेजात् में प्रार्थी का नाम छोगालाल पुत्र श्री नगजी राम अंकित है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थी अधिवक्ता की बहस विपक्षी पैराकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजात का भलिभांति परीक्षण किया गया। प्रार्थीया के सभी पते एवं पहचान के प्रमाणपत्रों में नाम छोगालाल पुत्र श्री नगजी राम अंकित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

—:आदेश :—

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की स्वीकार किया जाकर प्रकार ग्राम बिलियाखुर्द पटवार हल्का हरणीकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा की सरहद में प्रार्थी की खातेदारी की आराजी सं. 1469/657 रकबा 02 बिस्वा, 664 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, 665 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, 666 रकबा 15 बिस्वा, 667 रकबा 04 बिस्वा कुल किता 05 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा भूमि में प्रार्थी का नाम चोखाराम की जगह छोगालाल गाडरी पुत्र नगजीराम गाडरी दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भीलवाडा उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में संशोधन का इन्द्राज कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी किया गया है।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा